भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2701

14 दिसंबर, 2021 को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों को निधि आबंटन

2701. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत सात वर्षों के दौरान सहकारी समितियों के निधि आबंटन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके संवितण का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सहकारी समिति के वितरण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): जी नहीं। सरकार देश में सहकारी समितियों के विकास, संवर्धन, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत कृषि सहकारिता योजना (सीएसआईएसएसी) का संचालन करती है। इस योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। अनुदान केवल कार्यान्वयन एजेंसियों को, नामत:, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) प्रदान किया जाता है । पिछले 7 वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत निधियों के प्रवाह का विवरण निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ में)

2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
99.33	121.70	129.81	228.2263	137.7875	193.96	379.14

(घ): सहकारी समितियों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध** पर दी गई है।

लो.स.अता.प्र.सं.2701

अनुबंध

<u>सहकारी समितियों की संख्या</u>

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-क्रेडिट सहकारिताएं	क्रेडिट सहकारिताएं	कुल योग
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1987	117	2104
आंध्र प्रदेश	70344	2874	73218
अरुणाचल प्रदेश	731	52	783
असम	6489	3757	10246
बिहार	30351	8818	39169
चंडीगढ़	225	18	243
छत्तीसगढ	10011	1353	11364
दादरा और नगर हवेली	244	40	284
दमन और दीव	97	9	106
दिल्ली	4924	1436	6360
गोवा	3393	429	3822
गुजरात	62866	14684	77550
हरियाणा	23814	758	24572
हिमाचल प्रदेश	2799	2595	5394
जम्मू और कश्मीर	1368	652	2020
झारखंड	9461	4394	13855
कर्नाटक	30512	10426	40938
केरल	16177	3086	19263
लक्षद्वीप	62	19	81
मध्य प्रदेश	39079	8336	47415
महाराष्ट्र	143372	62514	205886
मणिपुर	8907	330	9237
मेघालय	1309	246	1555
मिजोरम	1276	161	1437
नागालैंड	7298	1761	9059
ओडिशा	14601	2729	17330
पुडुचेरी	396	136	532
पंजाब	13322	4115	17437
राजस्थान	21941	6518	28459
सिक्किम	5179	285	5464
तमिलनाडु	17849	6633	24482
तेलंगाना	64296	860	65156
त्रिपुरा	1778	289	2067
उत्तर प्रदेश	35605	12583	48188
उत्तराखंड	4848	775	5623
पश्चिम बंगाल	19839	13817	33656
कुल	676750	177605	854355

स्रोत: एनसीयूआई, 2018

******